7 राज्य • 1 केंद्रशासित प्रदेश • 19 संस्करण : उत्तर प्रदेश | उत्तराखंड | हिमाचल | जम्मू-कश्मीर | दिल्ली | हरियाणा | पंजाब | चंडीगढ़

अमर उजाला

बरेली
शनिवार, 26 मई 2018

PAGE NO :- 7 . LEFT BOTTOM

पीजी की खाली सीटों को भर सकेंगे निजी मेडिकल कॉलेज

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को निजी मेडिकल कॉलेजों को पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में खाली पड़ी सीटों को नीट की मेरिट लिस्ट से भरने की इजाजत दे दी। हालांकि कोर्ट ने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि यह काम 31 मई तक पूरा हो जाए।

जस्टिस एएम खालविलकर और जस्टिस इंदु मल्होत्रा की अवकाशकालीन पीठ ने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के इस संबंध में दिए गए सुझाव को स्वीकार करते हुए कहा कि ऐसा करना जनहित में होगा। पीठ ने कहा कि मेरिट लिस्ट में आए उन अभ्यर्थियों के लिए संभावनाओं का द्वार खुलेगा जो अन्य मेडिकल कॉलेजों में दाखिला पाने में असफल रहे थे।

पीठ ने मेडिकल एजूकेशन के डायरेक्टर जनरल डॉ. केके गुप्ता को इसका दायित्व सौंपते हुए कहा कि 31 मई तक ऑल इंडिया नीट की मेरिट लिस्ट के आधार पर संबंधित कॉलेजों में छात्रों के दाखिले का काम परा हो जाए। **ब्यरो**